

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय—रायपुर

क्रमांक ७० / रज २-६ / २०१२ / वित्त / ब-४ / चार,  
पट्टी,

रायपुर, दिनांक २५-०४-२०१२

रायपुर प्रमुख सचिव/सचिव

- छत्तीसगढ़ शासन

विभाग

मंत्रालय, रायपुर।

विषय:- वर्ष २०११-१२ के वित्त लेखे तैयार करने हेतु जानकारी महालेखाकार कार्यालय को भेजने बाबत् ।

पिंडयांतर्गत महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक २५६८ (वित्त)/एफ-१५/२०११-१२/३२३ दिनांक २०.०३.२०१२ एवं पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-४३/वि.ले./२०१२-१३/३५३ दिनांक ०२.०४.२०१२ की छायाप्रति संलग्नकों सहित रखन है ।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वर्ष २०११-१२ के वित्त लेखे हेतु जानकारी वार्ष २०१२ के लेखे बन्द होने के पश्चात तुरंत महालेखाकार कार्यालय ने श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रभारी रिपोर्ट (वित्त) के नाम पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर भिजवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें । जिससे कि वर्ष २०११-१२ के वित्त लेखे में उक्त जानकारी को शामिल किया जा सके ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

४५८  
(सी.जे.खन्ना) २५/४/१२  
संयुक्त सचिव  
वित्त विभाग

पत्र क्रमांक ७४ / रज २-६ / २०१२ / वित्त / ब-४ / चार,

रायपुर, दिनांक २५-०४-२०१२

प्रतिलिपि:-

१. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक रिपोर्ट (वित्त)/१५-१५/२०११-१२/३२३ दिनांक २०.०३.२०१२ एवं पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-४३/वि.ले./२०१२-१३/३५३ दिनांक ०२.०४.२०१२ के संदर्भ में सूचनार्थ देखित ।

२. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक रिपोर्ट (वित्त)/एफ-१५/२०११-१२/३२३ दिनांक २०.०३.२०१२ एवं पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-४३/वि.ले./२०१२-१३/३५३ दिनांक ०२.०४.२०१२ की छायाप्रति संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया पत्र में दिये गये निर्देश” के अनुरूप वर्ष २०११-१२ के वित्त लेखे हेतु वांछित जानकारी मार्च २०१२ के लेखे बन्द होने के पश्चात तुरंत महालेखाकार कार्यालय में श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रभारी रिपोर्ट (वित्त) के नाम पर भिजवाने का कष्ट करें ।

३. प्रोग्रामर, एफ.एम.आई.एस. वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (रु.क. ०२ के लिए)

२५/१२  
(प्रशांत लाल)

शोध अधिकारी, वित्त विभाग

कार्यालय महालेखाकार (ले. / ह) छत्तीसगढ़, रायपुर

क. रिपोर्ट (वित्त) / एफ 15/2011-12/323

दिनांक : 20.03.2012

प्राप्ति:

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग  
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय : वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में सम्मिलित करने हेतु जनकारी मेंजने आवत्

महोदय,

छत्तीसगढ़ राज्य दे वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे दोयार करने की प्राक्षिय प्रारम्भ की जा चुकी है। वित्त लेखे के दिवरण कमांक 11, 12 एवं 13 में कमशः राजरव आष्टियां, राजस्व व्यट एवं पूर्जीगत व्यट के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2011-12 के आवडे एवं 2010-11 के आवडों की तुलना भक्त वृद्धि अध्ययन कर्मी को 'विशेष कारण' सहीत दर्शाते हुए सम्मिलित की जाना है। इस हेतु ग्राहप "क" (1) से "क" (3) संलग्न है :

2. उपरोक्त जानकारी जे अधिरिक्त राज्य शासन द्वारा प्रत्युत के रूप में दिये गये राहायत अनुदान (GIA in kind) की जानकारी भी राज्य वित्त लेखे में सम्मिलित की जाना है। इस बबत


उपरोक्त "छ" राहायत है।

उपरोक्त कांडिकार्यों ने चाहों नहीं जनकारी हेतु ग्राहप "क" (1) से "क" (3) तक "छ" तक्तमन कर अनुरोध है कि टिभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत उपशीर्षवार वृद्धि अध्ययन कर्मी (अध्यार्थ एवं मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षों में ऐचले वर्द को तुलना में बहिर्कर्मी के कारणों) की समेकित जनकारी तथा राज्य शासन हाँ दिये गये अस्तु रूपी ने सहायत अनुदान (GIA in kind) के जानकारी नार्च 2012 के लेखे बन्द होने के तुरन्त प्रस्तुत समस्त छायट नियंत्रण अधिकारियों से प्राप्त कर आवश्यक रूप से श्रीमती स्तिष्ठा मुख्यमंत्री विशेष लेखा अधिकारी, प्रभारी रिपोर्ट (वित्त) के नाम से भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे में उल्लं जानकारी को सम्मिलित की जा सके।

कृपया उपर्युक्त वांछित जानकारी ग्राहणिका के अधार पर शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

23 MAR 2012

सहसन : उन्नत नुस्तर



नवदीय,

वरि. लेखा अधिकारी/रिपोर्ट (वित्त)  
20.03.2012  
19/3/12

*(Signature)*

प्रपत्र (क)-1राजस्व प्राप्तियां

सं. क्र.	मुख्य शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष 2010-11 में कुल प्राप्तियाँ	वर्ष 2011-12 में कुल प्राप्तियाँ	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि/कमी के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम/पदनाम  
कार्यालय का पता :

दूरभाष क्रमांक :

सोबाईल क्रमांक :

फैक्स नं.

(कृपया कार्यालय का पता/दूरभाष क्रमांक/सोबाईल क्रमांक/फैक्स नम्बर को आवश्यक रूप से दर्शाए जावे)

प्रपत्र (क)-२

राजस्व व्यय

सं. क्र.	मुख्य शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष 2010-11 में उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	वर्ष 2011-12 में कुल व्यय	बृद्धि/कमी की राशि	बृद्धि/कमी के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम/पदनाम  
कार्यालय का पता :  
दूरभाष क्रमांक :  
मोबाइल क्रमांक :  
फैक्स नं.

(कृपया कार्यालय का पता/दूरभाष क्रमांक/मोबाइल क्रमांक/फैक्स नम्बर को आवश्यक रूप से दर्शाए जावे)



कार्यालय  
वर्ष-१। दिन। २०  
दिनांक ११/०४/१२

मूर्ण चन्द्र माझी  
नहालेखाकार

प्रिय निम्नलिखि,

संनाम/रोमांच (ठिक) /एक-४३ /पि.जे / २०१२-१३ / ३५३

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर  
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक : ०२/०४/१२  
Date :

राज्य वित्त लेखे में वर्ष के होस्ट-लाइन वर्ष योजनाओं तथा राज्य के प्रतिबंधित दायित्वों (Committed Liabilities) से रांबधित परिसंघ सम्बंधित वित्त जटिलता है। वर्ष 2010-11 से वेता लेखे होस्ट वर्ष परिसंघों ने जानकारी इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी, किन्तु इन परिसंघों के जानकारी आपने एवं अप्राप्ति के होने के कारण राज्य वित्त लेखे में समिलेत नहीं थी तथा सभी।

राज्य शासन के प्रतिबंधित दायित्वों (Statement on Committed Liabilities) का परिशिष्ट समस्त विभागों द्वारा पूर्ण रांबधित करने की दृष्टि से इस कार्यालय द्वारा ३ वर्ष की नई भारदर्शिका एवं नमूना प्रन्त्र रखने की दृष्टि से इस कार्यालय द्वारा ६ वर्ष समस्त विभागाध्यक्षों को गर्वदर्शिका तथा नमूना प्रयत्न अनुसार राज्य शासन के प्रतिबंधित दायित्वों का परिशिष्ट पूर्ण कर 15 भई, 2012 तक निर्धारित रूप से इस कार्यालय के प्रेषित करने वाले अवधिक निर्देश जारी करने ताकि वह 2011-12 के वित्त लेखे में रांबधित परिसंघ के सम्बंधित वित्त जटिलता जारी राखे ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2011-12 में चालू नवेन्द्र योजनाओं के जानकारी भी उपलब्ध लाई जावे।

9 APR 2012

- वल्लभ-१) मार्गदर्शिका तथा नमूना प्रन्त्र  
2) राज्य शासन के प्रतिबंधित दायित्वों का प्राप्त

श्री डॉ. एस. मिश्र  
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय  
डॉ. के.एस. मवन,  
रायपुर

“ भविष्य में राज्य के प्रतिबंधित दायित्वों का विवरण पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका ”

## I Accounts Payable

### स्तम्भ क्रमांक-२

स्तम्भ क्रमांक २ में निम्नलिखित दायित्व दर्शायी जाएँ।

- (1) आयोजनेतर वेतन
- (2) ब्याज के भुगतान (6003-आंतरिक ऋण)
- (3) Accrued Debt
- (4) भुगतान हेतु बलायः बिल

### स्तम्भ क्रमांक ३ (लाग)

इस स्तम्भ में जानकारी निम्नके दर्शाये जाने।

### स्तम्भ क्रमांक ४ (आयोजनेतर)

- 1) आयोजनेतर वेतन :- वर्ष 2012-13 के वास्तविक आयोजनेतर वेतन व्यवहार तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के अनुगमित आयोजनेतर वेतन व्यवहार वार्षिक रूप से दर्शायी जाएँ;
- 2) ब्याज के भुगतान :- वर्ष 2012-13 में आंतरिक ऋणों से संबंधित ऋणों पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज की राशि तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 पर किये जाने वाले ब्याज भुगतान की रूप की राशि वर्ष वार्षिक दर्शाये जाएँ।
- 3) भुगतान हेतु बकाया बिलों की जानकारी :- इस भद्र हेतु दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में आयोजनेतर संदर्भ से भुगतान हेतु बकाया बिलों की राशि दर्शाएँ।
- 4) Accrued Debt :- Accrued Debt से आशय ऐसे ऋणों से है जिसका पुनर्गमन नियम जा रहा है किन्तु ऋण की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 31 नवंबर 2012 की स्थिति में मुख्यमंडीर 6103 के अन्तर्गत यदि ऐसा कोई ऋण है तो स्तम्भ क्रमांक 4 में दर्शाएँ।

### स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित प्रतिबंधित दायित्व की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जाये।

#### स्तम्भ क्रमांक ८ :

- 1) कालम नम्बर ४ में दर्शाए गए आयोजनेतर देता ले वायित्व तथा आज के भुगतान के दायित्व हेतु 2013-14 से 2015-16 दशाये, कालम नम्बर ३ रवं ४ में दर्शाये गये भुगतान हेतु व्यक्ति विलो के दायित्व हेतु 2012-13 दशाये, 2013-14 से 2015-16 दशाये इसे कालम नम्बर ५ Accrued Debt के वायित्व हेतु कपो के युनर्फुगतान का अंतिम चर्च दर्शाया जावे।

#### स्तम्भ क्रमांक ९ :

- 1) आयोजनेतर देता के दायित्व हेतु वर्ष 2011-12 में भुगतान किये गये आयोजनेतर ऐन व्यव की राई दर्शायी जावे।
- 2) भुगतान हेतु व्यक्ति विलो के दायित्व हेतु निरंक दर्शायी जावे।
- 3) व्याज के भुगतान के दायित्व हेतु वर्ष 2011-12 में भुगतान किये गये अंतरिक्ष क्र०३ पर व्याज की राई दर्शायी वर्ष बार जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु वर्ष 2011-12 में भुगतान किये गये युनर्फुगतान की राशि वर्ष बार दर्शायी जावे।

#### स्तम्भ क्रमांक १० :

- 1) आयोजनेतर देता के दायित्व हेतु कालम नम्बर ५ में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर ९ में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।
- 2) भुगतान हेतु व्यक्ति विलो के दायित्व हेतु कालम नम्बर ५ में दर्शायी गयी राशि ही दर्शायी जावे।
- 3) व्याज के भुगतान के दायित्व हेतु कालम नम्बर ५ में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर ९ में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि वर्ष बार दर्शायी जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु कालम नम्बर ५ में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर ९ में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।

कृपया उपरोक्त सूचकालीन राशि का नाम  
में दर्शायें।

**॥ केन्द्र प्रबार्तीत योजनाओं में राज्यांश की जानकारी**

**स्तम्भ क्रमांक 2 :**

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में इसी केन्द्र प्रबार्तीत योजनाओं जिसमें केन्द्रांश विमुक्त किया जाना। यो किन्तु विमुक्त न किया गया हो ऐसे योजनाओं का नाम दर्शाया जाते।

**स्तम्भ क्रमांक 3 :**

स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शाई गयी योजनाओं में दिनांक 31.03.2012 को विमुक्ती हेतु बक्तव्य राज्यांश की राशि दर्शाए।

**स्तम्भ क्रमांक 4 :**

स्तम्भ क्रमांक 4 में नियंत्रक दर्शाये जाते।

**स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :**

स्तम्भ नम्बर 3 से दर्शाये गये राज्यांश की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5,6 एवं 7 में राष्ट्रपुसार दर्शायी जाते।

**स्तम्भ क्रमांक 8 :**

स्तम्भ क्रमांक 3 ने दर्शाए गयी राशि का भुगतान किरा वर्ष में किया जावेगा। उस वर्ष की जानकारी दर्शायी जायेगी।

**स्तम्भ क्रमांक 9 :**

स्तम्भ क्रमांक 9 में नियंत्रक दर्शायी जावे।

**स्तम्भ क्रमांक 10 :**

स्तम्भ क्रमांक 10 में स्तम्भ क्रमांक 3 की राशि दर्शायी जायेगी।

लृपथा उपरोक्त क्रमांकों की विविध लिङ्कों की  
दृष्टिविचारणा।

### III आयोजना मद से आयोजनेतर मद में स्थानान्तरित योजनाएं।

**सनान्वतः पंचवर्षीय योजना काल के पूर्ण होने पर केन्द्र शीत्रोम योजना, केन्द्रीय प्रवासीत योजना अत्रोरेका केन्द्रीय संहायत योजना, पिंडोप केन्द्रीय सदाचारा योजना इत्यादि को आयोजनेतर मद में स्थानान्वयन किए जाने पर कलस्ट्रॉप नियमित योजनाओं के जबलन के उद्दितों राज्य शान्ति। पर उल्लंघ होता है। यदि ५ वर्ष शासन हासा वर्ष 2011-12 में कोई योजना को आयोजना नद से आयोजनेतर नद में स्थानान्वयन किया गया है, तो उन योजनाओं की जानकारी इस वर्ग में उपलब्ध कराई जाए।**

#### 11 वी पंचवर्षीय योजना से उत्पन्न समर्पित आयोजनेतर व्यय

योजना आयोग, भारत सरकार नई पिल्ली हासा जारी 12 वी पंचवर्षीय योजना (2012-17) में व्यय के पारीकरण से संबंधित दिशा-नियन्त्रणसंसद नियमित व्ययों की प्रकृति के समर्पित आयोजनेतर व्यय (Committed Non Plan Expenditure) गाना जाना चाहिए :

- 1) राजस्व विकास योजनाएं जी दिनांक 31.03.2012 तक दूर्घ तुरु है उनके जबलन ५ वर्ष अनुखण्ड व्यय को आयोजनेतर व्यय गाना जाना चाहिए।
- 2) नदि कोई विकास योजना 12 वी पंचवर्षीय योजना के जाल में पूरी नहीं होती है इस उत्तर योजना को 12 वी पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाता है एवं इस योजना से नदि कोई आस्तियों नियमित किये जाते हैं अथवा कोई रोमांग स्थानीय किए जाते हैं तो उन अस्तियों एवं रोमांगों के परिवर्तन इस अनुखण्ड व्यय किये जाने वाले वर्ष को 12 वी योजना काल में समर्पित आयोजनेतर व्यय गाना जाना चाहिए।
- 3) नदि कोई कार्यकार/योजना/प्रतिविधि अस्वयन कर में केसान्तरण किया जाता है तो दूर्घ दूर्घ में कार्यकार मैदानी बाह्या (Field Staff) तथा मुख्यलय अमल के व्यय को समर्पित आयोजनेतर व्यय गाना जाना चाहिए।
- 4) सनस्त किश्यमान संस्थार एवं उपयनियों के अनुरक्षण संबंधी व्यय को समर्पित आयोजनेतर व्यय मान बान चाहिए।
- 5) स्वास्थ्य, शिक्षा, खाजा आपूर्ति इत्यादि वेव में ऐसी योजनाएं जो आवर्ति व्यक्ति ही है उन योजनाओं में दिनांक 31.03.2012 की रिति में वर्षक प्रयोगात्मियों के तैनात व्यय को रागर्वेत आयोजनेतर व्यय माना जाना चाहिए। ६२वें वर्ष प्रयोगों के तालिकों वर्ष 2012-13 में उत्पन्न होता है। संगवित है तदापि वर्ष 2011-12 में उत्तरेका प्रयोगों के तालिकों हेतु खोली गई आयोजनेतर योजनाएं एवं वर्ष 2011-12 में आयोजन नद से आयोजनेतर में स्थानान्वयन योजना से उत्पन्न व्यय दर्शित का योजनवार जान कारी इन वर्ष के अन्वार्दि दर्शाइ। संवेदन योजना का नगर साम्ब करनाका २ में उत्तरार उत्तम करनाका ३ में नियमित प्रशास्त्र कालन नन्दर ४ में इस योजना के वर्ष 2011-12 के वारायिक ललय तथा आगामी तीन वर्षों में (विधान 2012-13, 2013-14, 2014-15) ने किए जाने वाले आनुभानेतर व्यय को वर्षवार दर्शाइ। उत्तम उत्तमका ५, ६ एवं ७ में संधिता व्यय त्रोत को जानकारी देते कलम कमाल ८ में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 दर्शाते। कलम कमाल ९ में 2011-12 के वारायिक व्यय दर्शाइ। कलग कमाल १० में कालम ८ एवं कालम ९ के संतर को जानकारी देते।

(कृपया उक्त स्तम्भों में लासि लाखों में दर्शाइ)

**IV अपूर्ण परियोजनाओं में उत्तरल दायित्व की राशि :**

**स्तम्भ क्रमांक २ :**

दिनांक 31.03.2012 को अपूर्ण परियोजनाओं के नाम दर्शाया जाते।

**स्तम्भ क्रमांक ३ एवं ४ :**

स्तम्भ क्रमांक २ में दर्शायी गयी योजनाओं पर योजनाओं की समाप्ति तक किये जाने वाले समर्पित अवधि की राशि तथा उन परियोजनाएँ पर वर्ष 2011-12 में कियं गये घास्तविक व्यय की कुल राशि दर्शाये। दिनांक 31.03.2012 को विस्तृक्ती हेतु बजेट राज्यांश की राशि दर्शाये।

**स्तम्भ क्रमांक ५, ६ एवं ७ :**

काल्पनिक नगर व नगर ३ एवं ४ में दर्शायी गयी राशि वा गुणतात्त्व किस वर्ष में किया जावेगा उस वर्ष की जानकारी दर्शायी जावे।

**स्तम्भ क्रमांक ८ :**

स्तम्भ क्रमांक ३ एवं ५ में दर्शायी गयी राशि वा गुणतात्त्व किस वर्ष में किया जावेगा उस वर्ष की जानकारी दर्शायी जावे।

**स्तम्भ क्रमांक ९ :**

स्तम्भ क्रमांक ९ में वर्ष 2011-12 में किये गये व्यय दर्शाये जावे।

**स्तम्भ क्रमांक १० :**

स्तम्भ क्रमांक १० में स्तम्भ क्रमांक ३ एवं ४ में दर्शायी गयी राशि में से स्तम्भ क्रमांक १ दी राशि को घटाकर नियल राहे दर्शायी जावे।

त्रृप्यम् उक्तं उत्तरं कै वाऽन्तरिक्षी लोको अः द्वर्षि।

**निर्णय**

**Statement on Committed Liabilities of the State in future  
(As on 31-03-2012)**

**(Rupees in Lakh)**

Sl.No.	Nature of the Liability	Amount		Likely Sources from which proposed to be met		Likely year of the discharge during the year		Liabilities remaining	
		Plan	Non Plan	State Own Resources	Central Transfers	(Specify)	4	(Total of 4 less 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Accounts Payable								
	Salary								
2011-12		1000							
2012-13		2000							
2013-14		3000							
2014-15		4000							
	Interest Payment								
2011-12		5000							
2012-13		6000							
2013-14		7000							
2014-15		8000							
	Total								
	Bills pending for payment								
31-03-2012		5000							
	Accrued Debt								
	State's Share in Centrally Sponsored Scheme								
1	Mention the name of the scheme in which the state share has not been released	100000	"			2012-13	-	100000	
	Total								

Sl.No	Matured the Liability	Amount	Likely Sources from which proposed to be met		Likely year of discharge	Liabili- ties discharge (Total of during the year)	Balance remaining (Total of 4 less 9)			
			Plan	Non Plan	States Own	Central				
<b>Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads</b>										
कृष्ण सत्रान नगरपालिका के परिवर्तन कार्यक्रम व विभिन्न विभागों के अनुसार जारी करी दी गयी										
Total										
<b>IV Liabilities arising from Incomplete Projects</b>										
कृष्ण सत्रान मानविकी के सरल उचावक IV में घोषित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यालय दी, वापि										
Total										
<b>V Others/Miscellaneous</b>										
1.										
2.										
3.										
4.										
<b>Grand Total</b>										

9/4

**Statement on Committed Liabilities of the State in future**  
 (As on 31-03-2012)

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Nature of Liability	Amount		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharged during the year	Balance remaining
		(₹ in Lakh)	Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Accounts Payable(*)</b>									
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>II State's Share in Centrally Sponsored Scheme</b>									
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>III Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads</b>									
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>IV Liabilities arising from Incomplete Projects</b>									
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>V Others/Miscellaneous</b>									
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Grand Total</b>								

\* Accounts payable includes the committed liabilities in the form of non plan salary expenditure, pension, interest payments, accrued debt bills pending for payments etc